भारतीय वायुसेना के लिए विमानों की खरीद

1014. **डा० बापू कालदाते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार फ्रांस से दस वर्ष पुराने लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वायु सेना के अनेक विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का वास्तविक कारण उनका पुराना होना था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में वायुयानों के लिए पुराने विमान खरीदने के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का इरादा रखती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

वाहन निर्माण कम्पनी, जबलपुर द्वारा झील का विकास

1015. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय इंजीनियरी कालेज जबलपुर के पीछे स्थित एक बड़ी प्राकृतिक झील "वाहन निर्माणी" कंपनी (वाहन निर्माण कंपनी) के अधिकार क्षेत्र में है ;

(ख) क्या इस झील का विकास करने के लिए इस वाहन निर्माण कंपनी ने कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रांजिट कैम्प की स्थापना करने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसानों को क्षतिपूर्ति का दिया जाना

1016. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991 में सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि उनके मंत्रालय द्वारा फाटी बरुआ और फाटी पलयान कोठी मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ट्रांजिस्ट कैम्प की स्थापना हेतु जिस भूमि का अधिगृहीत किया जाना है उस पर भूमि के कब्जे में लिए जाने से भूमि के अधिगृहीत किए जाने तक की अवधि के लिए भूमि-मालिकों को किराया दिया जाएगा तथा आसपास के क्षेत्र के किसानों से किराए पर ली गई भूमि के बीच स्थापित जनता को व्यावहारिक रूप से यथा सम्भव आने-जाने की सुविधा प्रदान की जाएगी ;

(ख) यदि हां, तो किस-किस किसान को अभी तक कितना-कितना किराया दिया गया है ; और

(ग) स्थानीय जनता को इस भूमि में से में आने जाने की क्या-क्या सुविधा दी गई है और यह कब से दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) सरकार ने कहा था कि 12 फरवरी, 1991 को भू-स्वामियों को जुलाई, 1988 से किराए मुआवजे के रूप में प्राप्त प्रतिवर्ष 64,417 रु० की राशि मंजूर की गई है और स्थानीय सैन्य प्राधिकारियों को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करें ताकि उन्हें खेती करने के लिए अपनी भूमि में आने-जाने में कोई दिक्कत न हो ।